


239/2016 वावुलाल - लार्डी आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-12-20	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-12-20 को पेश हो।	
22-12-20	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-3-21 को पेश हो।	
2-3-21	पत्रावली पेश। कारण में रैस्पॉण्डेंट की वकील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रैस्पॉण्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। वकील अभील का शीघ्रान्दरीश निस्तारण किया जा एवं पत्रावली वरते तलबी रिकार्ड दिनांक 16-4-21 को पेश हों।	mebof 82
16-4-21	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व ताभील से शेष रैस्पॉण्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत वकील सजिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रैस्पॉण्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त वकील अभील से पेश नहीं है। फलस्वरूप अभील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत वकील सजिज की जाती है। निर्णय सारे दस्तावेज प्रस्तुत पत्रावली पेश हुनार होकर नया से कस होकर बंद तत्काल सजिज पत्रावली पेश करे।	
	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी साकर	